महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(ACentral University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्तAccredited with 'A' Grade by NAAC

पत्रांक:023/DDE/प्र.प्र./बी.एड.24-25/003 **दिनांक : 12.07.2024**

बी. एड. कार्यक्रम (2024-25) में प्रवेश हेतु मापदण्ड निर्धारित किए जाने हेतु बैठक का कार्यवृत्त

कार्यालयादेश क्रमांक : 023/DDE/वि.मा./2024/002/7094, दि. 21/05/2024 के अनुसार अकादमिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बी.एड. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ किए जाने के संदर्भ में बी.एड कार्यक्रम (2024-25) में प्रवेश हेतु मापदंड निर्धारित किए जाने हेतु बैठक आज दिनांक 02.07.2024 को पूर्वाह्न 09:30 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सभी सदस्य व्यक्तिश: उपस्थित हुए। बैठक में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई :-

1. गत वर्षों में दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बी.एड. कार्यक्रम में अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया/परीक्षा संबंधी कठिनाइयों/समस्याओं एवं आर्थिक मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2024-25 में प्रवेश के संबंध में की जाने वाली छानबीन (संवीक्षा) प्रक्रिया वर्ष 2021 के अनुसरण में किया जाना उचित होगा। इस दृष्टि से आवेदकों के प्रवेश हेतु की जाने वाली छानबीन प्रक्रिया वरीयता (मेरिट) के स्तर पर अभ्यर्थियों के स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में प्राप्त/अर्जित अंकों के आधार पर कराया जाना उचित है।
2. उक्त के आलोक में निदेशालय द्वारा संचालित बी.एड. कार्यक्रम में अभ्यर्थियों की प्रवेश संबंधी छानबीन प्रक्रिया के अनुपालन में अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन हेतु समिति का गठन सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकता है।
3. अभ्यर्थियों के प्रवेश के आलोक में छानबीन प्रक्रिया के तहत, अभ्यर्थियों की वरीयता सूची प्रथम 500 से 750 तक के अभ्यर्थियों/आवेदकों के समूह में चरणबद्ध तरीके से बनायी जाये, जिससे अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची में सुगमता एवं स्पष्टता होगी।
4. यदि अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन अपूर्ण पाया जाता है, तो ऐसे आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार (पुनर्विचार) नहीं किया जाना चाहिए।
5. प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन आवेदन के दौरान वरीयता के लिए अधिकतम अंकों की गणना से संबंधित विकल्प का चुनाव अभ्यर्थियों द्वारा ही किया जायेगा। इस संबंध में अभ्यर्थी अधिकतम अंकों का चुनाव स्नातकोत्तर अथवा स्नातक कार्यक्रमों में अर्जित अंकों के आलोक में कर सकते हैं। इससे जुड़े सभी विकल्पों की अनिवार्यता पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्प अंतिम होगा तथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में अंक भरने एवं त्रुटियों की जिम्मेदारी आवेदकों की होगी।
7. ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अहर्ताओं से संबंधित सीजीपीए अथवा प्रतिशत के संदर्भ में परिवर्तन प्रमाण-पत्र (Conversion certificate) को संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. नॉन क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा प्रवेश आवेदन के साथ संलग्नक के रूप में केवल नवीनतम नॉन क्रीमीलेयर (एनसीएल) प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा बी.एड. कार्यक्रम में किए गए ऑनलाइन आवेदनों के साथ सभी संलग्न दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन दूर शिक्षा निदेशालय, वर्धा में ही किया जायेगा। जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को व्यक्तिश: उपस्थित होकर समस्त मूल दस्तावेजों

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय,गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत
Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), INDIA
ई-मेल/E-mail: ddedirectoroffice@hindivishwa.ac.in
वेबसाइट/Website: www.hindivishwa.org/distance
दूरभाष/Phone: 07152- 241040

को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी और न ही इस संबंध में आवेदन स्वीकार्य होंगे।

10. दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु किए गए आवेदन के संबंध में केवल जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार्य किया जायेगा।
11. बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश वरीयता सूची के संबंध में यदि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में अभ्यर्थियों के अंक बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के निर्माण में प्राथमिकता के निम्नांकित आधार होंगे :
    i) प्रथम प्राथमिकता : अभ्यर्थियों का अनुभव (ज्यादा अनुभव वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता)
    ii) द्वितीय प्राथमिकता : 12वीं परीक्षा में अर्जित अंक (12वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्तकर्ता को प्राथमिकता)
    iii) तृतीय प्राथमिकता : 10वीं परीक्षा में अर्जित अंक(10वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्तकर्ता को प्राथमिकता)
    iv) चतुर्थ प्राथमिकता : आयु (अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता)
12. बी.एड. कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थियों/शिक्षार्थियों की अंतिम पाठ्य योजना प्रस्तुति तथा मौखिकी (तृतीय सेमेस्टर) दूर शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय) में संपन्न की जायेगी।
13. वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में ही बी.एड. की उपाधि अर्जित की है, उन्हें बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
14. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भ्रामक जानकारी/जाली दस्तावेज दिये जाते हैं, तो ऐसे आवेदनों को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द करने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में केवल उन कार्यक्रमों को संचालित किया जाना उचित होगा, जो क्षेत्रीय केन्द्रों में नियमित रीति से संचालित किए जा रहे हों और वहाँ उस विषय के संकाय सदस्य मौजूद हों।

sd/- डॉ. तक्षा शंभरकर (वि.आ. सदस्य)	sd/- डॉ. गुणवंत सोनोने (वि.आ. सदस्य)	sd/- डॉ. आदित्य चतुर्वेदी (वि.आ. सदस्य)	sd/- डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी (सदस्य)
sd/- डॉ. हेमचन्द्र ससाने (सदस्य)	sd/- डॉ. सीमा बर्गट (सदस्य)	sd/- डॉ. बालाजी चिरडे (सदस्य)	sd/- डॉ.जयन्त उपाध्याय (सदस्य)
sd/- डॉ. प्रियंका मिश्र (सदस्य)	sd/- डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा (सदस्य)	sd/- डॉ. शंभु जोशी (सदस्य)	sd/- प्रो. आनन्द पाटील (अध्यक्ष)

उल्लिखित समस्त बिंदु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।